न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –128/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2025/151

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामुराम पुत्र श्री रावताराम जाति–जाट,निवासी–गांव उंटवालिया तहसील व जिला–नागौर		1. सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर 2. हल्का पटवारी पटवार हल्का मकोड़ी तहसील व जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 29.04.2026

1–अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार, नागौर द्वारा समर्पण स्वीकृति आदेश क्रमांक/राजस्व/कोर्ट/2025/102 दिनांक 11.06.2025 के विरूद्ध पेश की हैं।

2–अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां उपस्थित हुवे।

3–वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार,नागौर द्वारा मौजा मकोडी के खसरा नम्बर 45 रकबा 2.1934 हैक्टेयर में से रकबा 0.0890 है0 किस्म भूमि बारानी दोयम का दक्षिणी भाग खातेदार श्री रामुराम पुत्र रावताराम जाति–जाट निवासी–उंटवालिया की खातेदारी भूमि का समर्पण स्वीकृत ओदश क्रमांक/राजस्व/कोर्ट/2025/102 दिनांक 11.06.2025 को जारी कर इस भूमि को सिवायचक दर्ज करने का गलत आदेश पारित किया हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह कथन हैं कि अपीलांट द्वारा न तो किसी प्रकार का समर्पण पेश किया हैं एवं न ही किसी प्रकार के समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। अपीलांट को उनकी नागौर में पेंशन के कागजों का सत्यापन करवाना हैं कि बात कहकर नागौर लाया गया तथा अपीलांट से पेंशन के कागजों के स्थान पर समर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाकर तहसीलदार,नागौर के समक्ष इस प्रकार के कागज पेश किये गये हैं जबकि अपीलांट को इस प्रकार के समपर्ण की कोई जानकारी नहीं दी गई हैं एवं न ही तहसीलदार ने समर्पण स्वीकार करते समय

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

कलक्टर नागौर

अपीलांट को कोई तथ्य की जानकारी बतायी गई हैं। इस प्रकार तहसीलदार,नागौर द्वारा की गई यह कार्यवाही झूठी,छल कपट से एवं बेईमानी से व बिना सहमति के कारवाई गई होने से इस प्रकार की कार्यवाही पर तहसीलदार,नागौर द्वारा जारी किया गया आदेश भी गलत होने से खारिज योग्य हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अपीलांट को इस प्रकार की झूठी कार्यवाही की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 25.07.2025 को इस आदेश के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने हेतु तहसीलदार,नागौर को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 14.08.2025 को पटवारी हल्का को उक्त प्रार्थना–पत्र जांच हेतु भेजा गया । पटवारी हल्का मकोड़ी ने अपनी जॉच रिपोर्ट तहसीलदार,नागौर को पेश कर यह निवेदन किया हैं कि उक्त समर्पण की गई भूमि की मौके पर जॉच करने व पूछताछ करने पर पाया कि प्रार्थी के पुत्रगण व भाईयों में उक्त समर्पण के सम्बन्ध में विवाद हैं। अतः समर्पण आदेश को रिव्यू करते हुए समर्पण आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह भलीभांति स्पष्ट हैं कि इस समपर्ण आदेश का प्रार्थीगण के पुत्रगण एवं भाईयों में विवाद हैं तथा यह समर्पण आदेश अपीलांट की बिना सहमति से करवाया गया हैं तथा पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत समर्पण आदेश की पालना में अभी तक म्यूटेशन स्वीकृत नहीं किया गया हैं जिससे भी यह आदेश खारिज योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन है कि भूमि का समर्पण किस प्रयोजन के लिये करवाया गया हैं न तो समर्पण पत्र में दर्ज है एवं न ही अपीलाधीन आदेश में दर्ज हैं, इसलिए बिना किसी उद्धेश्य के किया गया भूमि का समर्पण वैसे भी खारिज योग्य होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस दिनांक 06.01.2026 को पेश कर प्रार्थना–पत्र एवं अपनी मौखिक बहस में दर्ज किये तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार का बहस में यह कथन किया कि अपीलांट द्वारा स्वयं तहसीलदार,नागौर के समक्ष उपस्थित होकर समर्पण पत्र पेश किये जाने पर आदेश क्रमांक/102 दिनांक 11.06.2025 से प्रस्तुत समर्पण स्वीकार किया जाकर भूमि राजकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है जो विधिवत आदेश दिये गये है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड का विधि पूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/कोर्ट/2025/102 दिनांक 11.06.2025 इस प्रकार है "खातेदार श्री रामुराम पुत्र रावतराम जाति–जाट निवासी–उटवालिया तहसील जिला नागौर ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र मय समर्पण पत्र प्रस्तुत कर मौजा मकोडी के खसरा नम्बर 45 रकबा 2.1934 हैक्टे. में से रकबा 0.0890 हैक्टे. किस्म बारानी–2 भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

दक्षिणी भाग समर्पण बाबत् निवेदन किया है। खातेदार की पहचान पटवारी हल्का मकोडी द्वारा किये जाने पर समर्पण पत्र के निषपादकगण को समर्पण पत्र की इबारत पढ़कर सुनाई गई। प्रार्थी ने इबारत सुनकर पढ़कर समझकर सही होने पर समर्पण पत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि समर्पित भूमि पर खातेदारान् या इनके वारिसान् का कब्जा काश्त स्वामित्व नहीं रहेगा भूमि सिवायचक दर्ज रहेगी।

अतः पटवार हल्का मकाडी को लिखा जावे कि मौजा मकोडी के खसरा नम्बर 45 रकबा 2.1934 हैक्टे. में से रकबा 0.0890 हैक्टे किस्म बारानी–2 भूमि दक्षिणी भाग राजहक में लेवें। संलग्न नक्शे में समर्पित भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवायचक दर्ज कर तदनुसार नामान्तरण कर प्रार्थीयान् के खाते से भूमि तथा लगान कम किया जावें। सिवायचक भूमि पर बिना आवंटन के कोई निर्माण या अतिक्रमण नहीं करें। पालना हेतु पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो । नक्शे में तरमीम की जावें''

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से खातेदार रामूराम द्वारा तहसीलदार,नागौर को प्रार्थना–पत्र मय समर्पण–पत्र दिनांक 21.05.2025 जो नोटरी से सत्यापित सुदा है, पेश कर उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 2.1934 हैक्टेयर में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर दक्षिणी भाग को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजहक में समर्पण किया है तथा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर उपरोक्त आदेश से तहसीलदार,नागौर द्वारा समर्पण पत्र को स्वीकार किया है, आदेश में यह स्पष्ट अंकित किया है कि खातेदार की पहचान पटवारी हल्का मकोडी द्वारा किये जाने पर समर्पण पत्र के निष्पादक को समर्पण पत्र की इबारत पढ़कर सुनाई गई। प्रार्थी ने इबारत सुनकर पढ़कर समझकर सही होने पर समर्पण पत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि समर्पित भूमि पर खातेदारान् या इनके वारिसान् का कब्जा काश्त स्वामित्व नहीं रहेगा भूमि सिवायचक दर्ज रहेगी।

इस इबारत के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि तहसीलदार द्वारा निष्पादक को समर्पण की इबारत पढकर सुनाने के बाद उनके द्वारा इबारत सुनकर पढ़कर समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर समर्पण पत्र स्वीकार किया है। इस प्रकार जब खातेदार द्वारा एक बार अपनी खातेदारी भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया है तथा तहसीलदार,नागौर द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है तो पुनः उसे निरस्त कर खातेदार के नाम दर्ज किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को नही हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने मुख्य रूप से यह अभिकथन किया हैं कि उनके हस्ताक्षर छलकपट व बेईमानी से पेंशन दिलवाने का कहकर करवाये है जो मानने योग्य नहीं है तथा अगर इस प्रकार की स्थिति है तो अपीलांट इस समर्पण–पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती देकर चाराजोही कर सकता है। विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि इस समर्पण का अभी तक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है तथा पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के पुत्रगण एवं भाईयों में इस समर्पण पत्र को लेकर विवाद हैं। इस तर्क से इस अपील में कोई महत्व नहीं रखता

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

हैं क्योंकि जब तक समर्पण पत्र एवं समर्पण स्वीकृत आदेश प्रभावी है तो किसी प्रकार की जॉच रिपोर्ट या टिप्पणी कोई महत्व नहीं रखती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार,नागौर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/कोर्ट/2025/102 दिनांक 11.06.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर
नागौर